

Case No. 480/21 वर्ष

पक्षकार

State v/s Ranjeet Singh
बनाम

पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश

दिनांक

18/07/25

A.P.O. अ.क. अभि. अ.क.
की आज्ञा नहीं आर्जन - पत्र पेश
उसके जो खर्चा किया जाता है
गवाहों की आज्ञा वामिल अंश
पुस्तकें, पुस्तकें, आदि, हैं।

पुस्तकें हम - अ.क. के वरिष्ठ
पुस्तकों में शामिल हैं अर्थात् मां
जोड़ना के वामिल विशेष वरिष्ठ
से करवाने के लिए लिखत आदेशों
दली अ.क. के व. अ.क.
पुस्तकों के वामिल अ.क. हैं।
दिनांक 05-09, 25 को पेश की।

ना.क.
ना.सि. 1578

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गोमुदा, जिला उदयपुर (सि.क.)

05.09.25

A.P.O. उ.क. अभि. अ.क.
अभि. की आज्ञा नहीं आर्जन
आधेवना पेश हुई जो खर्चा

Case No. - 480/21

सरकार v/s Ranjeet Singh

जाता है। गवाही की जाधि लागू

असम प्राप्त हुई पुनः जाधि हो।

दली A.P.O. जी की जाधि।

पत्रावली कारते रसा. पं. दिनांक

07.10.25 की पेश की।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
योगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)